

संख्या: पी0सी0एच0-एच0सी0(10)1/2013(एफ0एफ0सी0)- 77477-77488
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

निदेशक एवं पदेन सचिव,
पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009 दिनांक: 6.11.अक्टूबर, 2017.

विषय:

14वें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला स्तर पर केन्द्रीय पूल संधारण हेतु दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

विषय उपरोक्त पर विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.10.2017 के क्रम को जारी रखते हुए यह सपष्ट किया जाता है कि जिला स्तर पर 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल (Central Pool) सृजित करने हेतु जिला की समस्त ग्राम पंचायतों को उन्हें कुल राशि के 10 प्रतिशत O & M & Capital expenditure हेतु निर्धारित अनुदान में से कुल प्रदत्त राशि का 1 प्रतिशत अनुदान जिला स्तर के लिए प्रदान करना होगा जिसका उपयोग 14वें वित्तायोग सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु किया जायेगा। उद्धारण के लिए यदि किसी पंचायत को 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान मु0 5 लाख प्राप्त होता है तो वह 45,000/- रू0 की राशि पंचायत स्तर पर O & M & Capital expenditure हेतु रखेंगे तथा 5,000/-रू0 जिला स्तर पर निर्धारित विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु प्रदान करेगी। यह कटौती वर्तमान वित्तिय वर्ष अर्थात 2017-18 के लिए प्रदान की गई अनुदान राशि से आरम्भ की जाए।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

पृष्ठांकन संख्या: पी0सी0एच0-एच0सी0(10)1/2013(एफ0एफ0सी0)-77489-7750/दिनांक 6.11.17
प्रतिलिपि:-

1. (द्वारा जिला पंचायत अधिकारी) प्रधान/ पंचायत सचिव, समस्त ग्राम पंचायत हि0प्र0 को सूचनार्थ तथा इस आशय सहित कि वे 14वें वित्तायोग अनुदान से प्राप्त O & M & Capital expenditure हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अनुदान में से उपरोक्त अनुसार 1 प्रतिशत अनुदान की राशि को जिला स्तर के लिए अंशदान के रूप में जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्रदत्त खाता में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।
2. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9